अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शिवप्रकाश चौधरी श्री जगदीश चौधरी 04	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
23.06.2025	महेन्द्रपालसिंह बनाम हरजीत वगैरह (2025/279) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने एवं जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रति अभिभाषक अपीलांट को दी गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 14.07.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
14.07.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 23.06.2025 को प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील में संयोजित रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हरजीत नाम का कोई भी पक्षकार अधीनस्थ न्यायलाय में विचाराधीन वाद में नहीं रहा है और नाही वादी प्रतिवादी के रूप में संयोजित है। जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद एवं प्रकरण संख्या 6/2024 में हरजीत नाम का कोई पक्षकार ही नही है तो अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि वर्जित होने से प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है अपील निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत अपील में संयोजित रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 लगायत 3/5 ना तो अधीनस्थ न्यायालय के वाद एवं टीआई प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित है ना ही उक्त रेस्पोडेन्ट को संयोजित किये जाने का कोई प्रार्थना पत्र आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। जहां तक आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र है उस पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 लगायत 3/5 को बतौर प्रतिवादी अप्रार्थी पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है तो जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त रेस्पोडेन्ट ना तो प्रतिवादी और अप्रार्थी पक्षकार ही नहीं है तो उक्त अपील जिस रूप में प्रस्तुत की गई है वह विधि वर्जित होने से अपील प्रथम दृष्टया ही न्यायालय द्वारा संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलीय न्यायालय इस बात की उपधारण अपील में कायम नहीं की जा सकती कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 लगायत 3/5 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचारधीन है। अपीलांटस ने धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो संधारण योग्य नहीं है ना ही माननीय न्यायालय के समक्ष अपील योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2025 अपील योग्य नहीं होकर पुनरीक्षण योग्य आदेश है। तो ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा अपील विधि वर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील विधि वर्जित किये जाने योग्य है। इस संबंध में 2021 (2) डीएनजे राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(रेवन्यू पेज 1137) कोमल बनाम टीकाराम में पारित सिद्धान्त है जिस अनुसार अपीलांट की प्रथम अपील प्रथम दृष्टया पोषणीय नहीं है। इस प्रकार 1995 डीएनजे राजस्थान पेज 60 एवं 2000 डीएनजे सुप्रीम कोर्ट पेज 151 मे सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 151 सीपीसी के शक्तियों के अधीन पारित आदेश पुनरीक्षण योग्य होगा तो ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 151 सीपीसी के तहत पारित के आदेश के अधीन प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि रेस्पोडेन्ट का प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलांटस अपील को खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में 2021 (2) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 1137, 2000 डीएनजे एससी पेज 151, 1995 डीएनजे राज0 पेज 60, 2003 (1) डीएनजे राज0 पेज 150, 2007 (2) आर0आर0टी0 पेज 792, आरबीजे (1) पेज 2003, 2024 आर0बी0जे0 (राज) पेज 544, 2023 (1) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 419 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही मौखिक दौराने जवाब निवेदन किया कि प्रकरण में मृतक पक्षकारों को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 प्रस्तुत किया जाकर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है। इन्होने आराजीयात को विक्रय कर दिया है तो इन्हे आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि रेस्पोडेन्ट बोनाफाईड है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविधिक रूप से स्थगन अपास्त किये जाने के तुरंत बाद भूमि का बेचान क्यों किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित किसी भी आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय है चाहे आदेश अंतरिम हो अंतिम । अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने मय खर्चे खारिज किया जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं आदेशिकाओं का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु विधि अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जा चुका है तथा वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन है जो मृतक होने से विधिअनुसार अबेट नहीं किया जा सकता है। यदि अपीलांट मृत पक्षकारों के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते तो अपील विधि वर्जित होती। किन्तु अपीलांट द्वारा स्वच्छ हाथों से अपील प्रस्तुत की है जो कि न्यायालय हाजा में पोषणीय है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट ने यह आपत्ति भी दर्ज करवाई कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। इस संबंध में हमने हमने आर0बी0जे0 (28) 2021 पेज संख्या 222 एवं 2014(1) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 35 का ससम्मान अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश चाहे अंतरिम हो या अंतिम उसके विरूद्ध अपील पोषणीय है। चूंकि उक्त आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के संदर्भ में पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय है अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी वास्ते अपील पोषणीय नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

279/2025/225 महेन्द्रपालसिंह v/s हरजीत कौर्द

निरन्तर....

खारिज किये जाने बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा जवाब का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 15.02.2024 को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2024 को अपीलांट/प्रार्थी को एकपक्षीय सुना जाकर आगामी पेशी तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये गये। दिनांक 07.04.2025 को अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिस पर दिनांक 28.04.2025 को उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं दिनांक 21.05.2025 को अंतरिम स्थगन आदेश को अपास्त/रिकॉल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है

उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी पूर्ण कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शेष रेस्पोडेन्टस के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner